

A

कार्यालय अंचल अधिकारी, तोरपा।

वाद अभिलेख सं० 384/2017-18 (अन्तर्गत धारा 4(h) BLR Act, 1950)

आदेश पत्रक सं० से तक

वाद का प्रकार - बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत
जाँच एवं कार्रवाई

आदेश का क्रम तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई दिनांक आदेश
12.01.18	<p>झारखण्ड सरकार के झापांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं०-3-खा०म०निति-119/85/2308/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि में कायम की गई जमाबंदियों जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौजा <u>5/3 भा</u> थाना <u>खोखा</u> खाता सं० <u>221</u> प्लॉट सं० <u>50</u> रकबा <u>4.00</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास अनाबद बिहार (झारखण्ड) सरकार की खाते की सरकारी भूमि जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० पृष्ठ सं० पर जमाबंदी रैयत <u>रमानुसक रैयत</u> पिता/पति का नाम से कायम है। यह जमाबंदी संदिग्ध है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैध सादाहुकुनामा कायम की गयी है। जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टय उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज/ निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा उनको कारण-पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हेतु इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>27.01.18</u> को उपस्थापित करें।</p>	
	<p>लेखापित एवं संशोधित</p>	<p><u>27/01/18</u> अंचल अधिकारी तोरपा</p>


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर गई
कार्रवाई टिप्पणी
आदेश

अभिलेख उपस्थापित,

राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं वर्तमान पंजी से पूर्व की जमाबंदी पंजी / हल्का में उपलब्ध कन्टीन्यूअस खतियान / वादी के वंशज द्वारा उपलब्ध कराये गये बंदोबस्ती पट्टा का अवलोकन करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि मौजा डोडा के पंजी II में के वॉल्युम सं० II के पृष्ठ सं० 135 में इब्राहिम खान के नाम से कायम जमाबंदी सक्षम प्राधिकार के आदेश के आलोक में संधारित है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा एवं उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों के आलोक में मौजा डोडा के पंजी II के भाग सं० II पृष्ठ सं० 135 में इब्राहिम खान के नाम से कायम जमाबंदी के विरुद्ध भूमि सुधार अधिनियम की धारा 4 H के तहत प्रारंभ की गई कार्रवाई तत्काल प्रभाव से बंद की जाती है। भविष्य में विभागीय नियमों / उच्चतर न्यायालय के आदेश आदि के आलोक में पुनः कार्रवाई प्रारंभ की जा सकेगी।


अंचल अधिकारी
तोरपा

सेवा में,

अंचल अधिकारी रोहता

विषय: काप सं. 334/16-17 के संबंध में।


महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचना है कि-

रैंजत इमाबुल गेंगरा पिला - सिमोन गेंगरा के नाम से गौजा-रोडगा के खाना सं. 221, प्लॉट सं. 4422, कुल रकबा 4.0000 बी गजावन्दी पन्नी-1, 101-1, पृष्ठ-13 कायम है। बिहार (आरक्षण) एजि बुर्याद अधिनियम 1950 के धारा 4(H) के तहत कारवाई की गई। वापी इमाबुल गेंगरा के वंशज द्वारा कायम गजावन्दी के रूप में निर्मांकित फ्लोरवेज प्रस्तुत किया गया।

- ① बन्दोवस्ती पन्नी का काया प्रति
- ② लगान रसीद वर्ष - 2009-10 का काया प्रति

अतः उपरोक्त गजावन्दी के द्वारा
रैंजत बन्दोवस्ती परवाजा के आधार पर
निश्चितिकरण किया जा सकता है।


R-5.5


01